

12-05-2025- पत्रावली आज यैसी में ली गई। वादी-प्रतिवादी तथा वकील फ़ैरी कैन को बार-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली में उभय पक्ष द्वारा पेश्वी नहीं करने के कारण पत्रावली अदम हाजिरी अदम पेश्वी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला सुनार होकर दारिखत दफ्तर है।

१५

तहसीलदार (राजस्व)  
पदमपुर (राज०)